



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com


पत्रांक :-70/अभि0

दिनांक :-16/01/18

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 25/01/2018 को 02:00 बजे अपराहन तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 25/01/2018 को 02:30 बजे अपराहन के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 20/01/2018 से 24/01/2018 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।

क्रं0	वार्ड नं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	01	कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल के सामने पार्श्व आवास के पास पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	147735	1000	3000	45 दिन
2	05	बुटी मोड़ में प्रज्ञा केन्द्र के निकट छोटे भाग में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	148622	1000	3000	45 दिन
3	08	कोकर जामुन टोली में बचे हुये भाग में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	148622	1000	3000	45 दिन
4	08	तिरिल मंगल बिहार में मुण्डा जी के घर से अजय जी के घर तक पुलिया एवं स्लैब निर्माण कार्य।	53045	1000	1100	45 दिन
5	09	महतो जी के घर से अनुप जी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	145641	1000	3000	45 दिन
6	09	बदरी जी के घर से रंधीर सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य।	124348	1000	2500	45 दिन
7	10	कोकर कुम्हार टोली में मंदिर के पिछे पुलिया निर्माण कार्य।	131179	1000	2700	45 दिन
8	10	पीस रोड मिशन गली नं0- 01, 02 एवं 03 में पुलिया निर्माण कार्य।	123339	1000	2500	45 दिन
9	10	मरियमपुर कोकर में छोटे भाग में पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	148636	1000	3000	45 दिन
10	10	मरियमपुर कोकर में छोटे भाग में नाली का निर्माण कार्य।	129405	1000	2600	45 दिन
11	12	सामलौंग में प्रस्तावित वार्ड कार्यालय के पहुँच पथ का निर्माण कार्य।	143973	1000	2900	45 दिन
12	13	अखिलेश सिंह के घर से आनन्द बिला के घर तक नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य।	147178	1000	3000	45 दिन



एक कदम स्वच्छता की ओर



13	19	कुन्दन टायर गली के बाईलेन में संध्या गुप्ता के घर से वकील साहब के घर तक नाली निर्माण कार्य।	109742	1000	2200	45 दिन
14	21	करम टोली सेलिब्रेशन के पीछे एवं नगड़ा टोली में ननकी के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	147072	1000	3000	45 दिन
15	21	नगरा टोली स्थित पंडित के घर से गुंजन के घर की ओर स्थित कच्ची गली का पक्कीकरण कार्य।	121831	1000	2500	45 दिन
16	24	राधा मार्ग बाड़ा तालाब के पास दीना सिंह के घर से नाली तक नाली निर्माण कार्य।	101980	1000	2100	45 दिन
17	29	शिवाजी नगर हरमू में रामचन्द्र जी के घर से अच्छेलाल के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	140824	1000	2900	45 दिन
18	34	रीवर साईट कोलोनी पंडरा में भोला जी के घर से गोवर्धन जी के घर पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	143874	1000	2900	45 दिन
19	34	रीवर साईड कोलोनी पंडरा में राजकुमार गुप्ता के घर से मधेश्वर शर्मा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	146534	1000	3000	45 दिन
20	34	लक्ष्मी नगर में पंकज सोनी के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	146534	1000	3000	45 दिन
21	42	ए० एन० टाईप क्वार्टर के छोटे हुये भाग में नाली निर्माण कार्य।	110646	1000	2300	45 दिन
22	46	नाई मुहल्ला में नाली के उपर स्लैब निर्माण कार्य।	148905	1000	3000	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
- अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
- राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
- G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
- पैन (छाया प्रति)
- Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।



परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।

5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।

7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।

8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।

9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।


12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।

13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।

14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।

15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


15-1-18

कार्यपालक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।